

IT Cell
6/11/2020

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
भोपालपानी, पो0 बडासी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।

संख्या 1888 मुख्य खनिज/140 /कोरड्रिलिंग/भू0खनि0ई0/2020-21

दिनांक 05 नवम्बर, 2020

// विज्ञप्ति //

स्वस्थाने चट्टानों में उपलब्ध खनिज की कोर ड्रिलिंग कर खनिज का आकलन करने हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) गौण खनिज नीति 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार राज्य में स्वस्थित किस्म के खनिज परिहार के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में न्यूनतम 5.00 है0 तक क्षेत्रफल हेतु ड्रिलिंग मशीन से एक Core ड्रिल 30 मीटर गहराई का प्रतिवर्ष का मानक खनिज अन्वेषण/सत्यापन हेतु निर्धारित किया गया है।

इस हेतु सम्बन्धित खनन पट्टाधारक के व्यय पर खनिज अन्वेषण कर खनिज का सत्यापन का कार्य किये जाने हेतु कोर ड्रिलिंग का कार्य इंगित स्थान पर कर कोर लॉग के आधार पर खनिज की मात्रा का आकलन करने का अनुभव रखने वाली एजेन्सी को निदेशालय में सूचीबद्ध करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा कोर ड्रिलिंग एवं खनिज अन्वेषण कर खनिज के सत्यापन में आने वाले व्यय की दर का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(डा0 मेहरबान सिंह विष्ट)
निदेशक

पृष्ठांक 1888 मुख्य खनिज/140 /कोरड्रिलिंग/भू0खनि0ई0/2020-21 तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
2. उप महा निदेशक, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड, भारतीय भूवैज्ञानिक, सर्वेक्षण, भोपालपानी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, 100 ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट हेतु।

6. जिलाधिकारी आरटीसी सैल भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून को इस निदेश के साथ की उक्त कार्यवाही के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डा0 मेहरबान सिंह विष्ट)
निदेशक